भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

23.07.2014 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 2097

परमाणु संयंत्रों के लिए बीमा कवर

2097. श्री एम. आई. शनवास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मौजूदा और नए परमाणु विद्युत संयंत्रों को बीमा कवर प्रदान करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उपबंध का आशय विभिन्न राष्ट्रों के साथ हस्ताक्षरित परमाणु सहयोग समझौते में उल्लिखित देयता खंडों की शर्तों को पूरा करने का है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां भी परमाणु संयंत्रों को बीमा कवर देने लगी हैं; और

(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय ( डॉ. जितेन्द्र सिंह ) :

(क) तथा (ख) मौजूदा नाभिकीय बिजलीघरों में असक्रिय क्षेत्र की परिसंपत्तियों (परम्परागत क्षेत्रों) के लिए बीमा कवर विद्यमान है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में, प्रचालक द्वारा 'स्थापन संबंधी संपूर्ण जोखिम पॉलिसी' को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता के आधार पर पारगमन बीमा भी किया जाता है।

(ग) नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 के अंतर्गत, केवल प्रचालक के लिए ही बीमा पॉलिसी अथवा ऐसी कोई दूसरी वित्तीय सुरक्षा अथवा दोनों ही, जिसमें उसकी देयता शामिल हो, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रचालक नामत: न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा ऐसी वित्तीय सुरक्षा प्रदत्त करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की गई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू आपूर्तिकर्ताओं ने उनके जोखिम के लिए बीमा कवर उपलब्ध न होने के बारे में चिंता व्यक्त की है।

(घ) तथा (ड.) वर्तमान में, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां सभी मौजूदा नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में असक्रिय क्षेत्र की परिसंपत्तियों के लिए और निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए 'स्थापन संबंधी संपूर्ण जोखिम पॉलिसी' का बीमा कवर प्रदान करती हैं। देयता कानून के अंतर्गत, बीमे के संबंध में, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के साथ कुछ विचार-विमर्श किया गया है।

******